

कार्यालय कलेक्टर बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव  
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग

प्र0क्र0 25 अ-82/17-18/ 8/32

दिनांक 5/7/2018  
6/7/18

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	कुटखेडी	4.191 ✓	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	212/3	2.711	0.160	रघुनाथ व. जन्या कुन्बी सा. देह
	212/7	0.446	0.190	
	215/4	0.070	0.070	
2	141/3	0.253	0.253	लता जौ. मनोहर जाति कुबी सा0 देह
3	236/2	0.243	0.100	मंजी बेवा श्यामू रामराव शेषराव देवराव व0 श्यामू पूंजी जानता गुन्ता पिता श्यामू जाति कुन्बी सा0 पौनी भूमि स्वामी
	212/5	3.540	1.200	
4	104/5	1.604	0.080	गुन्ता बेवा दयाराम, हेमंत व0 दयाराम लीला निर्मला आशा पिता दयाराम सुलका पिता आत्माराम नवल किशोर गोकुल मनोहर गुडडू व0 फुस्त्या कुसुम शकुन सुमन पिता फुस्त्या जाति किराड सा0 पौनी भूमि स्वामी
5	128/3	0.307	0.140	पारबती बेवा मिटदू सनम बाबाराव व0 मिटदू मित्रा पिता मिटदू कमला जया सया पूर्णा पिता पूंज्या जाति कुबी सा0 पौनी भूमि स्वामी
	136/4	0.129	0.109	
6	225	1.234	0.300	आत्माराम गेंदू तापी चंद्रकला पिता गेंदू, वामन व0 भैयाजी गुनी रेणुका सिंधू पिता भैयाजी पता सा0देह भूमि स्वामी

7	233/4	0.251	0.251	श्रावण व० गंगाराम कौसू उर्फ सुशिला काशी उर्फ कासू भागू पिता गंगाराम पता नि० ग्राम सा० देह भूमि स्वामी
8	212/6	0.668	0.041	चिंधी पिता संपत्ति जाति कुंबी सा० पौनी भूमि स्वामी
	215/3	0.922	0.020	
	236/3	0.284	0.081	
9	204/1	1.436	0.856	सोनी बेवा गरीब्या, नारायण रामजी व० गरीब्या ठगू पिता गरीब्या अजाबराव पंजाबराव साहेबराव वामनराव व० बाजेराव कासाबाई पिता बाजेराव जाति कुंबी पता नि० पौनी भूमि स्वामी
10	149	1.538	0.070	जयवंती सकु पिता भूरा गोविंदा बबलू कैलाश व० संतोषराव मीरा अनिता सुनिता पिता संतोषराव पता सा० देह भूमि स्वामी
11	104/7	0.572	0.140	रामदयाल व० आत्माराम सुलका उर्फ नान्ही पिता आत्माराम नवलकिशोर गौकूल मनोहर गुड्डू उर्फ अशोक व० फुस्त्या उर्फ पुरषोत्तम, कुसुम शकुन उर्फ सकुन्तला सुमन उर्फ सुनीता पिता फुस्त्या उर्फ पुरषोत्तम जाति किराड सा० पौनी भूमि स्वामी
12	104/11	0.480	0.130	भैया व० राघो चिंधीबाई बेवा रामा विष्णु व. रामा काशी पिता रामा चंद्रकला बेवा देवराव लौकेश ना.बा. व. देवराव ऐश्वर्या ना.बा. पिता देवराव वली मा चंद्रकला जाति कुंबी सा० पौनी भूमि स्वामी
योग	18	16.688	4.191	

- (2) चूंकि पारराडोज मध्यम उद्वहन परिगोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



( शशांक मिश्र )


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

*(Handwritten signature)*

पृ0क0 अ-82/17-18/8132

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) मुलताई की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कुटखेडी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

  
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग